

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)**

आप.प्रकरण क्रमांक 107/16  
संस्थित दिनांक 15.02.2016  
फा.नंबर-234503001242016

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर  
जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन

// विरुद्ध //

लामूदास पिता जीरादास मांगरे, उम्र-40 साल, जाति पनिका  
निवासी परसामऊ थाना गढ़ी जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....आरोपी

**::निर्णय::**

**{ दिनांक 18/01/2018 को घोषित }**

**01.** आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-279, 337(तीन-शीर्ष) के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 13.02.2016 को समय दिन के लगभग 3:30 बजे 04 कि.मी. पूर्व स्थान बिरवा हवाई पट्टी के पास बैहर अंतर्गत थाना बैहर में लोकमार्ग पर बस वाहन क्र एम.पी.50/पी-0232 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहतगण देवेन्द्र कुमार, मायाबाई एवं कु0 दुर्गा को अन्य दूसरी बस अग्रवाल बस से टकराकर साधारण उपहति कारित किया।

**02.** अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 13.02.2016 को आर.बी. अग्रवाल बस क्रमांक एम.पी.50/पी.0232 में बैठकर आहतगण अपने घर जा रहे थे। करीब 3:30 बजे बिरवा हवाई पट्टी के पास बस पहुँची और मलाजखण्ड तरफ से अग्रवाल बस आ रही थी। उसी समय बस चालक अभियुक्त लामूदास ने बस को तेज रफ्तार खतरनाक तरीके से चलाते हुए अग्रवाल बस को ठोस मारते हुए रोड किनारे फेंसिंग को तोड़ते हुए बस गड्ढे में चले गई, जिससे आहतगण को चोटें आई थी। उसके पश्चात आहतगण को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आहतगण एवं गवाहों के

कथन लिये गये। जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 43/16 दिनांक 15.02.2016 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

**03.** अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा-313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फँसाया गया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की।

**04.** प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 13.02.2016 को समय दिन के लगभग 3:30 बजे 04 कि.मी. पूर्व स्थान बिरवा हवाई पट्टी के पास बैहर अंतर्गत थाना बैहर में लोकमार्ग पर बस वाहन क्र एम.पी.50/पी-0232 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन में बैठे आहतगण देवेन्द्र कुमार, मायाबाई एवं कु.दुर्गा को अन्य दूसरी बस अग्रवाल बस से टकराकर साधारण उपहति कारित किया ?

### **::सकारण निष्कर्ष::**

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02**

**नोट:-** साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

**05.** साक्षी मायाबाई अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपी को जानती है। घटना 13 फरवरी, 2016 दिन शनिवार को बिरवा हवाई पट्टी के पास करीब दिन के 3:45 बजे की है। वह अपनी लड़की दुर्गा को लेकर आर.बी. अग्रवाल बस में बैठकर बैहर से रेलवाही जा रही थी, जिसकी दिन के करीब 3:45 बजे हवाई पट्टी के पास सामने से आ रही एस.के. अग्रवाल से टक्कर हो गयी थी, जिससे उनकी बस का कांच टूट गया था। वह अपनी लड़की के साथ खिड़की के पास बैठी थी, घटना में उसे पीठ में एवं उसकी लड़की दुर्गा को आंख के

पास सिर पर चोट आयी थी, जिसके बाद उन्हें ईलाज हेतु बैहर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना बस चालक की गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.01 बनाया था।

**06.** साक्षी मायाबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जिस बस में वह बैठी थी, उस बस के चालक की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि बस धीमी गति से चल रही थी। दुर्घटना सामने वाली बस के तेज गति से आने के कारण हुई थी। वह कौन सी बस में बैठकर जा रही थी, नम्बर नहीं बता सकती। वह पुलिस को अपने कथन में बस का नंबर नहीं बतायी थी, यदि उसके कथन में बस का नंबर लिखा हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकती। उसे घटना के बाद पुलिसवाले घटनास्थल पर दोबारा कभी लेकर नहीं गये। यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.01 का मौका-नक्शा उसकी निशादेही पर तैयार नहीं किया गया था।

**07.** साक्षी देवेन्द्र कुमार मेश्राम अ.सा.2 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना दिनांक 13.02.2016 की है। वह आर.बी. अग्रवाल बस में बैठकर बालाघाट से मलाजखण्ड आ रहा था। दो बस अग्रवाल बस और दूसरी बस आपस में टकरा गयी थी। वह जिस बस में बैठा था, सामने वाली बस ने आकर उनकी बस को टक्कर मार दी थी, जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया था। उसका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में तथा उसके बाद बालाघाट में हुआ था। जिस बस में वह बैठा था, उस बस को कौन चला रहा था वह नहीं जानता है। वह नहीं बता सकता है कि घटना किसकी गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि उसने पुलिस को कथन देते समय बस चालक का नाम एवं बस की गति बताया था, यदि उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में ऐसा लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता।

08. साक्षी धनीराम अ.सा.03 तथा बरातू अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपी एवं आहतगण को नहीं जानते हैं। घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उनके कोई कथन नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 13.02.2016 की है, उन लोग अपनी दुकान में बैठे थे, तभी आर.बी. अग्रवाल बस क्रमांक एम.पी.50/पी-0232 का चालक लामूदास तेज गति से लापरवाहीपूर्वक चलाकर दूसरी बस को ठोस मार दिया था, चालक ने रोड़ किनारे हैडपंप को तोड़ते हुए बस को गड्ढे में ले जा लिया था, जिससे बस में बैठी सवारी को चोट आयी थी, आहतगण को उठाकर बैहर अस्पताल में भर्ती कराये थे एवं वह न्यायालय में आरोपी से मिलकर असत्य कथन कर रहे हैं। साक्षी धनीराम अ.सा.03 एवं साक्षी बरातू अ.सा.04 ने पुलिस बयान प्र.पी.02 एवं 03 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

09. साक्षी अमजद अली अ.सा.06 का कथन है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उसने किसी बस का यांत्रिकी परीक्षण नहीं किया था। साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने थाना बैहर के अपराध क्रमांक 43/16 में जप्तशुदा आर.बी. अग्रवाल कंपनी क बस क्रमांक एम.पी.50/पी-0232 का परीक्षण कर परीक्षण रिपोर्ट तैयार किया था, जिसमें बस के दाहिने साईड की पूरी बॉडी में खरोंच के निशान तथा इमर्जेंसी गेट का कांच एवं गेट टूटा हुआ पाया था, परन्तु परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.09 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है इसलिए वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने किसी बस का परीक्षण नहीं किया था और ना ही थाने में कोई बस देखा था तथा उसने थाना बैहर में पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था।

10. डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.05 का कथन है कि वह दिनांक 13.02.2016 को सी.एच.सी. बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा टी.आई. बैहर को प्र.पी.04 की सूचना दी गयी थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसमें लेख है कि अस्पताल में शाम के 06:30 बजे थाना बैहर के आरक्षक क्रमांक 1288 द्वारा आहतगण श्रीमती मायाबाई, कु० दुर्गा एवं देवेन्द्र को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। लाने वालों के अनुसार आहतगण को रोड एक्सीडेंट में चोट आना बताया गया था। उसके द्वारा आहत मायाबाई का मुलाहिजा शाम को 7:20 बजे किया गया, जिसे थाना बैहर से आरक्षक क्रमांक 1288 द्वारा लाया गया था। परीक्षण पर उसने मात्र एक चोट कंट्यूजन होना पाया था, जो कि एक गुणा आधा इंच लिये हुए, अनियमित किनारे लालीमा लिये हुए रीड़ के मध्य भाग पर था। उसके मतानुसार आहत की चोट साधारण प्रकृति की थी, जो कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी। उक्त चोट उसके जांच के छः घंटे के भीतर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.05 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उक्त आरक्षक द्वारा आहत कु० दुर्गा का परीक्षण करने पर उसके शरीर पर कंट्यूजन विथ एब्रेजन होना पाया था, जो कि एक गुणा आधा इंच लिये हुए एक एल आकार का अनियमित किनारा, जिसके मध्य भाग में आधा गुणा आधा इंच लिये खरोंच एवं सूखा हुआ रक्त होना पाया था। उक्त चोट सिर के अग्रभाग के मध्य भाग में होना पाया था। उसके मतानुसार आहत कु० दुर्गा की चोट साधारण प्रकृति की थी, जो कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी और उसके परीक्षण के छः घंटे के भीतर की थी। आहत को देख-रेख हेतु भर्ती किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.05 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उक्त आरक्षक द्वारा आहत देवेन्द्र को लाने पर उसके द्वारा उसका परीक्षण करने पर



चोट क्रमांक 01 लेसरेटेड वुंड जो कि तीन गुणा आधा इंच लिये हुए हड्डी तक गहराई लिये लालीमा लिये, सूख हुआ रक्त जमा था। उक्त चोट दाहिने एल्बो ज्वाइंट पर पीछे की तरफ होना पाया था। चोट क्रमांक 02 एक एब्रेजन जो कि एक गुणा आधा इंच लिये अनियमित किनारे, लालीमा लिय थी। उक्त चोट बांये हाथ पर बाहर की तरफ होना पाया था। उसके मतानुसार चोट क्रमांक 01 के लिए एक्स-रे की सलाह दी गई थी और चोट क्रमांक 02 साधारण प्रकृति की थी। चोट क्रमांक 01 कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी। आहत को देख-रेख हेतु भर्ती किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**13.** डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.05 के अनुसार उसके द्वारा आहत देवेन्द्र का एक्स-रे करवाया गया था। एक्स-रे प्लेट नं.21 है, जिसमें उसने किसी प्रकार का कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि सभी आहतगण को आई उपरोक्त चोटें रोड एक्सीडेंट से आ सकती है या अन्य किसी दुर्घटना में। साक्षी के अनुसार जिस प्रकार की चोटें हैं वह रोड एक्सीडेंट से आ सकती हैं। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उपरोक्त चोटें पुरानी थी तथा उसके द्वारा प्र.पी.04 लगायत प्र.पी.08 तक की कार्यवाही गलत की गई थी।

**14.** साक्षी आर.के. सिंह ठाकुर अ.सा.7 का कथन है कि वह दिनांक 13.02.2016 को पुलिस थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर उसके द्वारा सी.एच.सी. बैहर जाकर श्रीमती माया रंधवे, क0. दुर्गा रंधवे, देवेन्द्र कुमार की चोटों का परीक्षण कराया गया था। उक्त दिनांक को ही आहतगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर अपराध क्र 43/16 धारा-279, 337 भा.दं.सं. एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-184 के तहत प्रथम

सूचना रिपोर्ट प्र.पी.10 तैयार की गयी थी, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी बरातू परते की निशांदेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.01 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर इस उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त लामूदास से बस क्रमांक एम.पी.50/पी-0232 मय कागजात के गवाह शफी अहमद, साहिद खान के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.11 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**15.** साक्षी आर.के. सिंह ठाकुर अ.सा.7 के अनुसार उक्त दिनांक को ही साक्षी देवेन्द्र कुमार, मायाबाई, धनीराम, बरातूसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त लामूदास को गवाह शफी अहमद, एवं साहिद खान के समक्ष उपस्थिति पंचनामा प्र.पी.12 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया था एवं दिनांक 14.02.2016 को घटना में प्रयुक्त वाहन एम.पी.50/पी-0232 के संबंध में अभियुक्त को धारा-133 मो.व्ही. एक्ट का नोटिस प्र.पी.13 दिया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त द्वारा नोटिस के जवाब में व्यक्त किया गया था कि घटना के समय उसके द्वारा वाहन का चालन किया जा रहा था। इस साक्षी ने दिनांक 15.02.2016 को वाहन का मैकेनिकल परीक्षण साहिद अहमद अली से करवाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.09 है, जिसमें परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर हैं। विवेचना पूर्ण कर चालान थाना प्रभारी को सौंपा जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

**16.** साक्षी आर.के. सिंह ठाकुर अ.सा.7 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.10 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अस्पताल तहरीर के आधार पर दर्ज की थी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्र.पी.01

का नजरी-नक्शा थाना में बैठकर तैयार किया था, प्र.पी.11 का जप्ती पत्रक गवाहों के समक्ष ना बनाकर अपने मन से तैयार किया था, प्र.पी.09 की परीक्षण रिपोर्ट उसने अपने मन से तैयार किया था, प्र.पी.13 में आरोपी द्वारा वाहन चलाना स्वीकार नहीं किया गया था और उसने स्वयं लेख कर लिया था, साक्षी देवेन्द्र कुमार ने प्र.पी.01 का कथन उसे नहीं दिया था और उसने अपने मन से लेख कर लिया था, साक्षी धनीराम एवं बरातूसिंह ने प्र.पी.02 एवं प्र.पी.03 के ए से ए भा के कथन उसे नहीं दिये थे और उसने अपने मन से लेख किये थे, उसे आहत मायाबाई ने कोई कथन नहीं दिये थे, उसने अपने मन से लेख कर लिया था तथा उसने प्रकरण में संपूर्ण कार्यवाही फर्जी एवं झूठी किया है।

**17.** उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को दुर्घटना में आहतगण देवेन्द्र कुमार, मायाबाई एवं कु0 दुर्गा को चोटें आई थी, परन्तु उक्त चोट अभियुक्त के उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण आचरण से कारित हुई थी, उक्त संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। किसी भी आहतगण ने घटना का समर्थन नहीं किया है और ना ही अपराध के संबंध में कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध है।

**18.** उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह नहीं कहा



जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया गया और आहतगण को चोटें कारित की गई थी। अतः अभियुक्त लामूदास को भा.दं०सं० की धारा-279, 337(तीन-शीर्ष) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति बस वाहन क्रमांक एम.पी.50/पी-0232 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

21. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा हैं, इस संबंध में धारा 428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही/—  
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही/—  
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)